

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांक 01 अगस्त, 2018 के अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्पन्न हुई कार्य परिषद की आपात बैठक की कार्यवाही :-

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :-

1.	प्रो० नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	अध्यक्षा
2.	प्रो० सुभाष चन्द्र अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
3.	डॉ० आर०के० गुप्ता, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर	सदस्य
4.	डॉ० शकील अहमद, प्राचार्य, हलीम मुस्लिम डिग्री कालेज, कानपुर	सदस्य
5.	प्रो० संजय कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
6.	प्रो० मुकेश रंगा, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
7.	प्रो० संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
8.	डॉ० सुधीर कुमार अवस्थी, उपाचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
9.	डॉ० एन० के० बाजपेई, उपाचार्य, वाणिज्य विभाग, डी.ए.वी., कालेज, कानपुर	सदस्य
10.	डॉ० अंशु यादव, उपाचार्या, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्या
11.	डॉ० मुनेश कुमार, उपाचार्य, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
12.	श्रीमती नीता अग्रवाल, सहायक आचार्य, गृह विज्ञान विभाग, नारायण आर्य कन्या पाठशाला, फर्स्टखाबाद	सदस्या
13.	श्री धीरेन्द्र कुमार तिवारी, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	विशेष आमंत्रित सदस्य
14.	डॉ० विनोद कुमार सिंह, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव ने कार्य परिषद के उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की :-

मद सं०-१: कार्य परिषद की विगत बैठक दिनांक 13.07.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार करना।

परिषद ने दिनांक 13.07.2018 की अपनी बैठक की कार्यवाही की सर्वसम्मति से पुष्टि की। उक्त बैठक के कार्यवृत्त में निर्गत बिन्दु संख्या— 7 पर एक अंश छूट गया था जिसे निम्नानुसार जोड़ा गया "विचार करने से पहले प्रो० सुभाष चन्द्र अग्रवाल बैठक से बाहर चले गये"।

मद सं०-२: विश्वविद्यालय में दिनांक 11.09.2018 को होने वाले दीक्षान्त समारोह के सम्बन्ध में अतिआवश्यक बिन्दुओं पर विचार विमर्श।

विश्वविद्यालय में दिनांक 11.09.2018 को होने वाले दीक्षान्त समारोह के सम्बन्ध में पूर्व में ही कार्य परिषद को संसूचित किया जा चुका था, तत्क्रम में माननीय अतिथियों एवं अन्य कार्यवाही हेतु मा० कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया था। कुलपति महोदया ने कार्य परिषद को संसूचित किया कि दीक्षान्त समारोह में मुख्य अतिथि—श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, भारत सरकार विशिष्ट अतिथि—डॉ. दिनेश शर्मा, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार तथा विश्वविद्यालय से मानद उपाधि हेतु प्रो. एस.सी. शर्मा, निदेशक, नैक (NAAC) के नामों पर सहमति प्राप्त हो गयी है। कार्य परिषद को अवगत कराया गया जिस पर कार्य परिषद ने सर्वसमति से सहमति प्रदान की।

कार्य परिषद ने दीक्षान्त समारोह सम्पन्न कराने हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्थायें जैसे— ऑडिटोरियम की मरम्मत तथा अन्य कार्यों को कराने हेतु स्वीकृति तथा आने वाले व्ययों हेतु कुलपति महोदया को अधिकृत किया।

मद सं०-३: प्रो० सुभाष चन्द्र अग्रवाल के प्रकरण पर विचार।

उक्त मद पर विचार करने से पहले प्रो० सुभाष चन्द्र अग्रवाल बैठक से बाहर चले गये।

परिषद को प्रो० सुभाष चन्द्र अग्रवाल के प्रकरण पर विधिक राय से अवगत कराया गया। जिस पर परिषद ने विचारोपरान्त प्रो० अग्रवाल को पूर्व निर्गत 30 जून, 2018 से सेवानिवृत्त आदेश को निरस्त करते हुए लगातार सेवारत रहने की सहमति प्रदान की। तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए स्वीकृति प्रदान की।

तदोपरान्त प्रो० अग्रवाल पुनः बैठक में सम्मिलित हुये।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य बिन्दु पर विचार करना।

1. "श्रीमती रामकुमारी देवी महिला ट्रांजिट हार्स्टल" निर्माण हेतु कमला नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, तेजगाँव, रायबरेली के प्रबन्धक श्री सुरेन्द्र बहुदर सिंह द्वारा अनुदानित रु. एक करोड़ की रवीकृति के क्रम में रु. पचास लाख अवमुक्त हुआ है से परिषद को संसूचित किया गया तथा परिषद ने हर्ष व्यक्त करते तथा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए निर्माण कार्य कराने हेतु सहमति प्रदान की।
2. विश्वविद्यालय में आने वाले अति आवश्यक महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में न्यायिक कार्य सम्पादित कराने के लिये वरिष्ठ अधिवक्ता की सेवा लेने हेतु कार्य परिषद ने कुलपति महोदया को अधिकृत किया।

४

3. विश्वविद्यालय द्वारा अधिवक्ताओं की निर्धारित फीस रु. 5600/- को एक बार में भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में परिषद ने निर्णय लिया कि उक्त फीस को निरतारित याचिकाओं का सम्पूर्ण भुगतान तथा लंबित याचिकाओं हेतु $\frac{1}{2}$ भाग भुगतान किया जाय तथा शेष $\frac{1}{2}$ भाग याचिकाओं के निरतारित होने पर भुगतान किये जाने का निर्णय लिया।

अन्त में अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

11/01/2018

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)
कुल सचिव / सचिव

11/01/2018

(प्रो०नीलिमा गुप्ता)
कुलपति / अध्यक्षा